भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4265

20 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर

4265. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त पेंशन और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को नौकरी प्रदान करने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): सरकार एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को पर्याप्त पेंशन दे रही है और प्रत्येक पांच वर्ष के बाद ओआरओपी में संशोधन किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की रोजगार अपेक्षा के आधार पर उन्हें सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट हाउस, निजी क्षेत्रों, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों आदि में रोजगार

के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार स्कीमें चलाई जा रही हैं।

(ग): देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक के रूप में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के सहयोग तथा तीनों सेना मुख्यालयों की सहायता से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूरे भारत में रोजगार मेलों का आयोजन करती है। यह नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा इंटरफेस उपलब्ध कराता है जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा स्पॉट स्किल टैस्ट, साक्षात्कार और रोजगार प्रदान करना शामिल हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप 'सी' की रिक्तियों में 14.5% पद और ग्रुप 'डी' की रिक्तियों में 24.5% पद आरक्षित होते हैं। इसमें दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित 4.5% रिक्तियां शामिल हैं। तथापि, इन रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग, बैंक और पीएसयू की भर्ती एजेंसी की होती है।

“भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर” के बारे में लोक सभा में दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 4265 के भाग ‘ग’ के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा)

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के आंकड़े					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**थल सेना**	**नौसेना**	**वायु सेना**	**कुल**
1.	आंध्र प्रदेश	63,574	6,665	7,673	77,912
2.	अरूणाचल प्रदेश	980	5	1	986
3.	असम	38,316	914	2,732	41,962
4.	बिहार	100,849	15,746	16,931	133,526
5.	छत्तीसगढ़	6,746	334	411	7,491
6.	गोवा	1,113	1,030	202	2,345
7.	गुजरात	27,315	1,141	5,019	33,475
8.	हरियाणा	154,153	9,258	12,226	175,637
9.	हिमाचल प्रदेश	121,637	4,343	2,596	128,576
10.	झारखंड	25,680	1,666	2,747	30,093
11.	कर्नाटक	78,579	3,089	12,335	94,003
12.	केरल	143,296	14,506	23,734	181,536
13.	मध्य प्रदेश	53,344	1,566	2,118	57,028
14.	महाराष्ट्र	167,788	15,533	13,166	196,487
15.	मणिपुर	8,397	150	197	8,744
16.	मेघालय	2,830	56	86	2,972
17.	मिजोरम	5,394	51	61	5,506
18.	नगालैण्ड	3,221	45	24	3,290
19.	ओड़िशा	40,067	4,383	7,887	52,337
20.	पंजाब	335,328	9,767	14,369	359,464
21.	राजस्थान	193,825	8,264	7,434	209,523
22.	सिक्किम	1,000	63	12	1,075
23.	तमिलनाडु	104,533	4,015	11,975	120,523

24.	तेलंगाना	19,455	1,532	7,213	28,200
25.	त्रिपुरा	2,357	43	128	2,528
26.	उत्तर प्रदेश	349,880	29,534	41,731	421,145
27.	उत्तराखंड	132,576	3,470	3,315	139,361
28.	पश्चिम बंगाल	83,542	5,906	14,745	104,193
29.	अंडमान एवं निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	803	178	100	1,081
30.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	6,189	458	2,513	9,160
31.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	46,831	5,748	10,766	63,345
32.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	74,940	789	895	76,624
33.	लेह एवं लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	6,313	11	30	6,354
34.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1,864	134	471	2,469
	कुल	2,402,715	150,393	225,843	2,77,8951

*****